



चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : गोप0/प्रयो0/1460
दिनांक : 23.09.2021

विज्ञप्ति

मा0 परीक्षा समिति द्वारा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों/विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश एवं कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति में सत्र 2020-21 के सम्बन्ध में पत्र संख्या-पी0ए0/3716, दिनांक 26.06.2021 के द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किये गये थे :-

विन्दु संख्या-09 :- सम सेमेस्टर (जून-2021) एवं 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं में कोई भी प्रयोगात्मक परीक्षा आयोजित नहीं करायी जायेगी। लिखित/सैद्धान्तिक परीक्षा के आधार पर ही प्रयोगात्मक परीक्षाओं के अंक निर्धारित होंगे।

विन्दु संख्या-10 :- संस्थागत पाठ्यक्रमों में आयोजित होने वाली मौखिक परीक्षाएँ (Viva Voce) ऑनलाईन माध्यम से सम्पन्न करायी जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में मा0 परीक्षा समिति के उपर्युक्त निर्णय के अनुपालन में जिन महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा सम सेमेस्टर (जून-2021) एवं 2020-21 सत्र की वार्षिक परीक्षाओं के अन्तर्गत ऑनलाईन मौखिक परीक्षाएँ आयोजित कर अंक पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये थे ऐसे महाविद्यालयों/संस्थानों को विज्ञप्ति संख्या-गोप0/प्रयो0/1357, दिनांक 16.08.2021 के द्वारा मा0 कुलपति जी के आदेशों के क्रम में 01 सप्ताह में प्रत्येक दशा में ऑनलाईन मौखिक परीक्षाएँ आयोजित कराकर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अंक अपलोड करने के निर्देश प्रदान किये गये थे किन्तु कतिपय महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अभी तक भी उक्त परीक्षाओं की मौखिक/आन्तरिक परीक्षाओं के अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किये हैं जिनके अभाव में परीक्षाफल घोषित किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

अतः शासन द्वारा दिये गये निर्देशों एवं मा0 कुलपति जी के आदेश के क्रम में पुनः अनुरोध है कि जिन महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा अभी तक उक्त मौखिक/आन्तरिक परीक्षाओं के अंक अपलोड नहीं किये गये हैं वे महाविद्यालय/संस्थान 03 कार्य दिवसों के अन्दर उक्त अंक विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। यदि उक्त अंकों को पोर्टल पर अपलोड किये जाने के अभाव में परीक्षा परिणाम घोषित करने में जो भी विलम्ब होता है और छात्र/छात्राएँ उसके कारण किसी भी लाभ से वंचित रह जाते हैं तो उसका समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान को होगा।

भवदीय


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, कुलपति को माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
2. सचिव, प्रति-कुलपति को प्रति-कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
3. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या/निदेशक, महाविद्यालय/संस्थान सम्बद्ध चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को अनुपालनार्थ।
4. वैयक्तिक सहायक, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक को कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक महोदय के सूचनार्थ।
5. प्रभारी, कम्प्यूटर सेल/परीक्षा परिणाम सेल को सूचनार्थ।
6. प्रभारी, वेबसाइट को अनुपालनार्थ।

सहायक कुलसचिव (गोपनीय)